IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई लिमिटेड
(सीआईएनः L74899DL1993GOI053677)
नागरिक चार्टर

दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

1. आईएफसीआई के बारे में

आईएफसीआई की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम विकास वित्तीय संस्थान के रूप में उद्योग को मध्यम तथा दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम", के नाम से की गई थी । वर्ष 1993 में आईएफसीआई अधिनियम के निरसन के बाद, आईएफसीआई कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन गई । **वर्तमान में आईएफसीआई एक सरकारी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की 61.02% की हिस्सेदारी है ।** आईएफसीआई लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक में सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में भी पंजीकृत है तथा यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी अधिसूचित है ।

2. आईएफसीआई का दृष्टिकोण

"समग्र औद्योगिक तथा अवस्थापना क्षेत्रों के लिए अग्रणी विकास संस्थान बनना तथा देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए एक प्रभावी साझेदार बनना ।"

3. आईएफसीआई का उद्देश्य

उद्योग तथा अवस्थापना क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए सर्वोत्तम कार्य-नीतियां बनाना तथा देश में चल रहे औद्योगिक तथा अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना । समग्र हिस्सेदारों की संतुष्टि के अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए एक प्रतिस्पर्द्धात्मक, ग्राहकोन्मुख तथा विकासोन्मुख संस्थान के रूप में कार्य करना।

4. हम दृष्टिकोण को पूरा करते हैं:

- ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिश्र उत्पाद प्रदान करना, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः
  - ✓ ऋणियों से निरन्तर और अनवरत् सम्बन्ध बनाने के लिए ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि के अनुरूप परम्परागत मिश्र उत्पाद
  - ✓ ऐसा मिश्र उत्पाद बनाने की वचनबद्धता जो एक कारोबार/उद्योग क्षेत्र से दूसरे कारोबार/उद्योग क्षेत्र में परिवर्तित हो सके
  - ✓ निगमित क्षेत्र की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित बनाए गए संरचित ऋण उत्पाद
  - ✓ ग्राहकों से समग्र संव्यवहारों में उचित तथा उपयुक्त रूप से कार्य करना
  - ✓ उत्पादों और सेवाओं के बारे में स्पष्ट सूचना प्रदान करते हुए एकीकरण तथा पारदर्शिता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ग्राहकों से संव्यवहार
  - ✓ ग्राहक के विवरण की निजता तथा गोपनीयता बनाए रखना और सुनिश्चित करना ।
- कतिपय प्रयासों के लिए सरकार की नोडल एजेंसी बनने पर भारत सरकार के "मेक इन इण्डिया" तथा "डिजिटल इण्डिया" कार्यक्रम में व्यापक रूप से सहयोग देना ।

5. चार्टर का उपयोग

डिस्क्लेमर:

यह अधिकारों और दायित्वों का सृजन करने वाला एक विधिक प्रलेख नहीं है । इस चार्टर का उद्देश्य आईएफसीआई लिमिटेड और/या इसकी सहायक/सहयोगी कम्पनियों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के सम्बन्ध में उचित प्रक्रियाओं का प्रवर्तन करना है ।

6. आईएफसीआई का कारोबार

- आईएफसीआई का मुख्य कारोबार विनिर्माण, सेवाओं और अवस्थापना क्षेत्रों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
- यह परियोजना विकास, परियोजना मूल्यांकन, नीतिगत विश्लेषण, निगमित पुनर्संरचना तथा कानूनी सलाह के लिए परामर्शकारी सेवाएं भी प्रदान करता है ।
- आईएफसीआई निम्नलिखित भी करता हैः

क) आईएफसीआई निजी क्षेत्र में पावर को-जेनरेशन तथा एल्कॉहल/इथानॉल के उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए **चीनी विकास निधि** ऋणों के अनुवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है, और

ख) **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना** के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसके लिए भारत सरकार ने समाज के निम्न वर्ग में उद्यमीयता को बढावा देने के लिए अनुसूचित जाति के युवा और अपना उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए जिसके लिए बैंकों को ऋणों के मद्दे गारंटी देने के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ।

ग) मई, 2017 में इलैक्ट्रानिक्स एण्ड आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने **आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना** के अधीन सीमित दावों के सत्यापन के लिए **सत्यापन एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया । इसके बाद एमईआईटीवाई ने दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के अपने आदेश द्वारा आईएफसीआई लि. को एम-सिप्स के अधीन दावों के सत्यापन के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए, जिसे अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, नियुक्त किया । भारत सरकार द्वारा इस योजना का प्रारम्भ इलेक्ट्रोनिकी पद्धति डिजाइन व विनिर्माण में दीर्घावधि विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई, 2012 में किया गया।

घ) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स व सेमीकंडकर्क्स के निर्माण के प्रवर्तन के लिए योजना हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी नियुक्त किया । इस योजना की लागत 3,285 करोड़ रुपए है और इस पर पात्र वस्तुओं के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर पूंजी व्यय पर 25% का प्रोत्साहन दिया जाएगा । यह योजना प्रारम्भ में 3 वर्ष की अवधि के लिए 31/03/2023 तक आवेदकों के लिए खोली गई है और प्रोत्साहन राशि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 वर्ष के अंदर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होगी ।

ड़) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएफसीआई लिमिटेड को **प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी** के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा तथा इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रोनिक में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर विनिर्माण योजना के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए कार्य करेगी । इस योजना की लागत **40,951** करोड़ रुपए है और इसका प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित पात्र उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के बाद) पर **4%** से **6%** तक बढ़ाया जाएगा

च) फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा आईएफसीआई को अपनी दो योजनाओं के लिए नीचे दिए गए अनुसार प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया हैः

(i) बल्क ड्रग पार्कस का प्रवर्तन । योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

(I) देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने व विश्व स्तर के सामान्य अवस्थापना सुविधाओं (CIF) की आसान पहुँच प्रदान करने के लिए पार्क में स्थित बल्क ड्रग यूनिट्स में बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करने और इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने, घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर थोक दवाओं में निर्भरता और

(II) उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में मदद करना।

वित्तीय वर्ष **2020-21** से वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल **3,000** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन तीन बल्क ड्रग पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ii) मेडिकल डिवाइसिस पार्कों का प्रवर्तन । योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

(I) विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का सृजन जिससे भारतीय मेडिकल डिवाइस उद्योग को वैश्विक लीडर बनाया जा सके ।

(II) विश्व स्तरीय सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं के लिए आसान पहुँच बढ़ेगी जोकि बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता के परिणामस्वरूप घरेलू उपकरणों की बेहतर उपलब्धता साथ ही उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी लाएगी ।

(III) संसाधनों और अर्थव्यवस्थाओं के स्तर के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का उपयोग करना ।

वित्तीय वर्ष **2020-21** से वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल **400** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन चार मेडिकल डिवाइसिस पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

छ) फार्मास्यूटिकल्स विभाग की दो पीएलआई योजनाओं अर्थात् (क) भारत में महत्वपूर्ण की-स्टार्टिंग मटीरियल्स **(KSMs)/** ड्रग इन्टरमेडिएट्स **(DIs)** /एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंटस के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और (ख) मेडिकल डिवाइसिस के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के लिए आईएफसीआई को **प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया गया है

ज) **भारत में महत्वपूर्ण की-स्टार्टिंग मटीरियल्स (KSMs) / ड्रग इन्टरमेडिएट्स (DIs) /एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंटस के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना** - इस योजना की अवधि 10 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2029-30) है जिसका परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है और योजना के अधीन स्थापित की गई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से विनिर्मित 41 चिन्हित केएसएम/डीआई/एपीआई उत्पादों (जिसमें 53 एपीआईज शामिल हैं) की बिक्री के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है । योजना की अवधि के दौरान विभिन्न खण्डों के लिए प्रोत्साहन की दर 5% से 20% तक है । योजना के मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना जिससे चिन्हित केएसएम, ड्रग इन्टरमेडिएट्स व एपीआईज के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणामस्वरूप भारत की 53 महत्वपूर्ण एपीआईज में आयात की निर्भरता को कम किया जा सके ।

झ) **मेडिकल डिवाइसिस के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना** - इस योजना की अवधि 8 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28) है जिसका परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए है । इस योजना में भारत में निर्मित वस्तुओं पर 5% वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के पश्चात्) का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह लक्षित उत्पादों के अधीन समाहित होगा तथा यह पांच वर्षों की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक होगा । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है ।

- आईएफसीआई ने संस्थानात्मक विकास में मुख्य भूमिका अदा की है और विभिन्न संगठनों जैसे टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (टीएफसीआई), एसेट केयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इन्टरप्राइज लि. (एसीआरई), इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि. (आईडीएफसी), पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (पीटीसी), क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईएल), जीआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सिक्युरटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसटीसीआई), नॉर्थ ईस्टर्न डिवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई), दि ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (ओटीसीईआई), इकरा लिमिटेड (पहले इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इण्डिया लि. के रूप में ज्ञात), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), टैक्नीकल कंस्ल्टेंसी आर्गेनाईजेशंस (टीसीओज) तथा सामाजिक क्षेत्र संस्थान जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), प्रबन्ध विकास संस्थान (एमडीआई) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी) को प्रवर्तित किया ।
- आईएफसीआई ने अपने क्रियाकलापों को सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से आवासीय एवं वाणिज्यक क्षेत्र, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, वित्तीय सलाहकारी, स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सेवाएं, फैक्टरिंग आदि के रूप में अवस्थापना विकास में विविधता दी है ।

सहायक कम्पनियां

आईएफसीआई की निम्नलिखित छः सहायक कम्पनियां हैं:

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)
4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)
5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन)
6. एमपीकॉन लिमिटेड

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

स्टेप डाउन सहायक कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित आईएफसीआई की निम्नलिखित सात स्टेप डाउन सहायक कम्पनियां हैं:

1. आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड
2. आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
3. आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड
4. आईफिन क्रेडिट लिमिटेड
5. एसएचसीआईएल सर्विसिज लिमिटेड
6. स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मेनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड
7. स्टॉक होल्डिंग सिक्युरीटीज आईएफएससी लिमिटेड

सहयोगी कम्पनियां:

आईएफसीआई की एक सहयोगी कम्पनी अर्थात् किटको लि. है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित तकनीकी परामर्शकारी संगठन हैं:

उक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड का प्रबन्धन का दायित्व भी सौंपा है । इसका प्रबन्धन आईएफसीआई की एक सहायक कम्पनी अर्थात् आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. द्वारा किया जा रहा है । यह निधि एक वैकल्पिक निवेश निधि है, जिसे अनुसूचित जाति के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है । 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति अनुसार इस निधि के अधीन कुल 576.18 करोड़ रुपए का निकाय है, जिसमें से आईएफसीआई ने 66.96 करोड़ रुपए (जिसमें पूलिंग ऑफ इन्ट्रस्ट की मार्फत 16.96 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल हैं) प्रदान किए हैं तथा शेष 509.22 करोड़ रुपए (जिसमें पूलिंग ऑफ इन्ट्रस्ट की मार्फत 59.21 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल हैं) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ।

आईएफसीआई के उत्पादों और सेवाओं के विवरण हमारी वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध हैं ।

7. हमारे ग्राहक

अवस्थापना, विनिर्माण, सेवाएं, अचल सम्पदा, कृषि आधारित और अन्य विविध क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योग/क्षेत्रों की कम्पनियां ।

8. हम ग्राहकों से क्या आशा रखते हैं

- सूचना की घोषणा और प्रस्तुतीकरण, जब भी अपेक्षित हो, में ईमानदारी ।
- अपने ग्राहक को जानिए सूचना के अधीन निर्धारित नियामक अपेक्षाओं और काले धन को वैध न बनाने सम्बन्धी दिशानिर्देशों का पालन ।
- ऋण को उसी कार्य में उपयोग करना जिसके लिए उसे लिया गया है ।
- प्रदान की गई वित्तीय सहायता के निबन्धनों और शर्तों का ईमानदारी से पालन करना ।
- शिकायतों को, यदि कोई हों, हमारी शिकायत निपटान प्रणाली की मार्फत हमारी वेबसाइट पर हमारे समाधान के लिए डालना ।
- हमारी सेवाओं के सुधार के लिए और नए आयाम जोड़ने के लिए अपने कीमती फीड बैक देना ।

9. आचार-नीति

- व्यावसायिक, कुशल तथा विनम्र तरीके से सेवाएं प्रदान करना ।
- धर्म, जाति, लिंग, वंश या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव न करना ।
- ऋण उत्पादों के विज्ञापन तथा मार्केटिंग करने में निष्पक्ष तथा ईमानदार रहना ।
- संगठन के अंदर शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना करके ग्राहकों के झगड़ों या मतभेदों का नेकनीयत से निपटान करने का प्रयास करना ।
- सभी नियामक अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करना ।

10. शिकायत निवारण प्रणाली

आईएफसीआई ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है । तथापि, गुमनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा । ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों (विद्यमान तथा सेवानिवृत्त दोनों) को उनकी शिकायतों को दर्ज करने, शिकायत स्थिति को ट्रेक करने तथा आईएफसीआई लि. से उत्तर प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होगी ।

शिकायत दर्ज करने के लिए लिंकः https://ifciltd.com/grievance/

ई-मेल आईडीः hod.ccd@ifciltd.com

आईएफसीआई की सहायक कम्पनियों तथा सहयोगी कम्पनियों के नागरिक चार्टर के लिए कृपया सम्बन्धित कम्पनियों की वेबसाइट देखें, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

सहायक कम्पनियां

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) - www.shcil.com
2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) - www.iidlindia.com
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) - www.ifciventure.com
4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) - www.ifcifactors.com
5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन) - www.ifinltd.in
6. एमपीकॉन लिमिटेड - www.mpconsultancy.org

सहयोगी कम्पनियां

1. किटको लिमिटेड - www.kitco.in

निवेशक शिकायत तंत्र

क) इक्विटी में निवेशों से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक तथा डी-मैट धारिता के लिए वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित रजिस्ट्रार से अपना फोलियो नं./डीपी तथा क्लायंट आईडी देते हुए सम्पर्क कर सकते हैं :

एमसीएस (MCS) शेयर ट्रांसफर एजेंट लि॰
एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली 110020
टेलिफ़ोन नं॰ 011 41406149, 51 व 52
ईमेल आईडी 1: admin@mcsregistrars.com
ईमेल आईडी 2: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
ईमेल आईडी 3: helpdeskreply@ mcsregistrars.com
फैक्स नं॰ **011 41709881**

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

निवेशक आईएफसीआई में निम्नलिखित नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं:

<u>नोडल अधिकारी</u>

सुश्री शर्मिला छिकारा, सहायक महाप्रबन्धक,
निवेशक शिकायत कक्ष, आईएफसीआई लि॰
आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली - 110019
ईमेल : sharmila.chhikara@ifciltd.com

ख) आईएफसीआई के विभिन्न बांडों/डिबेंचरों में निवेश से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित रजिस्ट्रारों से सम्पर्क करें:

बांड सीरीज	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम	पता	सम्पर्क अधिकारी	सम्पर्क नं.	ई-मेल आईडी
इन्फ्रा I व II	मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर्स सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड	बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110 062	श्री एस पी गुप्ता/श्री संजय रस्तोगी	011-29961281/ 82/83	ifci@beetalfinancial.com spgupta123@gmail.com ifcibonds1@gmail.com www.beetalfinancial.com
इन्फ्रा III, IV, V व आईएफसीआई एनसीडी का ट्रेंच I व II	केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	सिलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032	श्री उमेश पाण्डेय/ श्री राजशेखर पोलीशेट्टी	040-67161500 040-67161595 040-67161589 1800-3454-001	umesh.pandey@kfintech.com einward.ris@kfintech.com polishetty.rajshekar@kfintech.com www.kfintech.com
उप-बांड सीरीज I व III	लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.	सी-101, 247, पार्क एलबीएस मार्ग, विखरौली (वेस्ट), मुम्बई - 400083	श्री धन्जी जोधाले श्री अजित पटानकर	+91 22 49186270 एक्सटेंशन 2394/2105	bonds.helpdesk@linkintime.co.in
फ़ैमिली बांड	एमसीएस (MCS) शेयर ट्रांसफर एजेंट लि॰	एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली 110020	श्री बीएमएस नेगी श्री नरेंद्र नेगी	+91 11 41406149, 50 व 51	helpdeskdelhi@mcsregistrars.com bonds@mcsregistrars.com

शिकायतों के निपटानों पर संतुष्टि न होने के मामले में बांड/डिबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें जो उनकी शिकायतों को 7 कारोबारी दिनों के अंदर निपटाएगा:

आईएफसीआई में बांड-वार नोडल अधिकारियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

- **इन्फ्रा बांडों व सार्वजनिक गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, टियर II बांडों (सीरीज I व III) तथा फैमिली बांडों** के सम्बन्ध में -
  - श्री आशुतोष वर्मा, सहायक प्रबन्धक
  - श्री राजेश सिंगारिया, सहायक महाप्रबन्धक

  ई-मेल: infrabonds@ifciltd.com, ifcipublicissue@ifciltd.com, ifcitier2bonds@ifciltd.com तथा familybonds@ifciltd.com

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

- अन्य निजी धारित बांडों व टियर II बांडों (सीरीज II,IV,V) के सम्बन्ध में -
  श्री के पी जड़ोदिया, सहायक महाप्रबन्धक
  ई-मेलः ppbonds@ifciltd.com

शिकायत का उत्तर 3 कारोबारी दिनों के अंदर दिया जाएगा। यदि शिकायत का उत्तर 7 कारोबारी दिनों के अंदर नहीं प्राप्त होता, निवेशक नीचे दिए गए बॉण्ड अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं -

सुश्री छवि सिंघल, उप महाप्रबन्धक
ई-मेलः bondscomplianceofficer@ifciltd.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आईएफसीआई में सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना दी जाती है। आवेदक, जो दी गई सूचना से संतुष्ट न हों या जिन्हें समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे निर्धारित समय अवधि के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। सीपीआईओ/सीएपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट पर डाले गए हैं और परिवर्तन होने पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

हमारा पता

आईएफसीआई लि॰
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली - 110019
वेबसाइट: www.ifciltd.com
टेलीफ़ोन: +91-11-41792800, 41732000, 26487444 26487622
फैक्स नं॰ +91-11-26230201

आईएफसीआई के निम्नलिखित स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं

आईएफसीआई चेन्नई कार्यालय कांटीनेंटल चैंबर्स (द्वितीय तल), 142 महात्मा गांधी रोड नुंगमबक्कम, चेन्नई, पिन - 600 034 **फोन: +91-44-2833 4110/11** **फैक्स: +91-44-2833 4109**	**आईएफसीआई हैदराबाद कार्यालय** तारामंडल कॉम्प्लेक्स, (8वां तल) 5-9-13 सैफाबाद, हैदराबाद, पिन - 500 004 फ़ोन: 040- 66623642/43/44 फैक्स नं॰ : 040- 23241138
आईएफसीआई कोलकाता कार्यालय चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, (तृतीय तल)33-ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता, पिन - 700 071 फ़ोन: 033-22262672 फैक्स नं॰ : 033- 22171618	**आईएफसीआई मुम्बई कार्यालय** अर्नेस्ट हाउस, (9वां तल) एनसीपीए मार्ग, नरीमन पाइंट मुम्बई, पिन - 400 021 फ़ोन: 022- 61293400 फैक्स नं॰ : 022- 61293440/41